कार्यालय प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

संख्या /बीआरजी/एमसी–21/ईसी–1 दिनांक: 26 ,अक्टूबर, 2021

कार्यालय आदेश

इस चिकित्सा महाविधालय के विभिन्न विभागों (ट्रामा सेन्टर) मे रिक्त जूनियर रेजीडेन्ट के पद पर नियुक्ति हेतु निर्गत सेवायोजन विज्ञप्ति संख्या–73/बीआरजी/एमसी–21/ईसी–1 दिनांक 07, अक्टूबर, 2021 के क्रम मे दिनांक 21, अक्टूबर, 2021 को सम्पन्न हुए साक्षात्कार के उपरान्त चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति **जूनियर रेजीडेन्ट (ट्रामा सेन्टर) के पद पर उनके नाम के सम्मुख विभाग** में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत नियत वेतन 15600–39100, ग्रेड पे – 5400 के अधीन निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार की जाती है।

S.No.	Candidate Name	Father Name	Department Name
1	Dr. Priti Gond	Shri Ram luranjan	Trauma (Surgery)
2	Dr. Bhanu Pratap Giri	Shri Dilip Kumar Giri	Trauma (Ortho)
3	Dr. Sandeep K Pal	Shri Raj Karan Pal	Trauma (Surgery)
4	Dr. Kanhaiya Lal Yadav	Shri Kedar Yadav	Trauma (Ortho)
5	Dr. Rohit Kr. Singh	Shri Nandeshwar Singh	Trauma (Surgery)
6	Dr. Zeba Sumaiya	Shri. Najmudulla	Trauma (Surgery)
7	Dr. Diwakar Vikram Sing	Shri. Ramchandra Sing	Trauma (Ortho)
8	Dr. Shiwansh Pandey	Shri. Surendra nath Pandey	Trauma (Ortho)
9	Dr Najmul Hasan	Shri. Shamshul Hasan	Trauma (Surgery)

1. कोई भी जूनियर रेजीडेन्ट मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही कहीं प्राइवेट प्रेक्टिस करेगा। यह नियुिक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से छः माह अवधि तक के लिए की जा रही है।
2. जूनियर रेजीडेन्ट मेडिकल कालेज, गोरखपुर में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
3. जूनियर रेजीडेन्ट की सेवाएं संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर समाप्त कर दी जाएगी।
4. जूनियर रेजीडेन्ट के लिए यह आवश्यक होगा कि वह नियुक्ति आदेश के सात कार्य दिवस के भीतर संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जाएगी।
5. उक्त नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का नियत वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
6. नियुक्ति के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जाएगी।